competitive federalism, which is that the proposals for those cities came from the citizens themselves. A total of something around 2.5 million citizens participated in the process. Now, out of the hundred cities that have been selected in these four stages, about ninety of them are brown field projects. In other words, the existing cities where there are already vast urban structures, they are being retro-fitted and retro-developed, but, 10 per cent of them are green field projects. Sir, for instance, the Naya Raipur.

**श्रीमती कान्ता कर्दमः** आदरणीय सभापति महोदय, मेरठ, उत्तर प्रदेश राज्य का काफी समय से बहुत महत्वपूर्ण शहर रहा है। दिल्ली के पास स्थित होने के कारण मेरठ हमेशा ही अन्य शहरों की तुलना में अधिक विकासशील और आधुनिक शहर रहा है। मेरा मानना है कि सरकार के सहयोग से स्मार्ट शहरों की लिस्ट में यदि मेरठ को भी शामिल कर लिया जाए तो वह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मेरठ को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने पर यहां रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापतिः** आपका सवाल क्या है? ...(**व्यवधान**)...

**श्रीमती कान्ता कर्दमः** इतना ही नहीं, दिल्ली एन.सी.आर. में बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि मेरठ को भी स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल किया जाए।

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य का यह निवेदन है। ...(**व्यवधान**)... इसे नोट कर लीजिए।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Hon. Chairman, Sir, I would like to tell the hon. Member that the list of hundred smart cities is already closed and as and when a new scheme is considered for inclusion of additional smart cities, I would advise the authorities concerned to make a proposal to that effect so that, again through a system of competitive federalism, Meerut or any other city would be included.

**श्री सभापतिः** उस समय इस निवेदन को ध्यान में रखकर इस पर सहानुभूतिपूर्वक अध्ययन कराइए।

## शिक्षकों की कमी

*95. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि शहरों के महाविद्यालयों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं तथा सरकार कब तक इस अंतर को समाप्त करेगी?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर):** (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) और (ख) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई), 2016-17 से प्राप्त सूचना के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| क्षेत्र | स्वीकृत संख्या | भरे हुए पद | रिक्त पद | रिक्त % |
|---|---|---|---|---|
| ग्रामीण | 6,80,924 | 5,43,626 | 1,37,298 | 20.1 |
| शहरी | 5,71,356 | 4,02,637 | 1,68,719 | 29.5 |
| कुल | 12,52,280 | 9,46,263 | 3,06,017 | - |

यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत शामिल कॉलेज संबद्ध राज्य सरकारों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। केन्द्र सरकार/यूजीसी कॉलेजों/राज्य विश्वविद्यालयों में अध्यापकों और शिक्षणेत्तर स्टाफ के चयन अथवा भर्ती में शामिल नहीं होते।

यूजीसी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों मे रिक्त संबंधी मुद्दों की भी निरंतर निगरानी करता है। यूजीसी ने 27 फरवरी, 2018 को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों से पदों के विज्ञापन, आवेदनों की संवीक्षा, अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्तियो हेतु समय-सीमा आदि विनिर्दिष्ट करते हुए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया (उपाबंध)। जहां नियमित कुलपति पदासीन नहीं हैं, वहां विश्वविद्यालयों से तत्काल आवेदन मांगने हेतु विज्ञापन जारी करने के लिए कहा गया है।

साथ ही, केन्द्रीय सरकार ने प्रतिभावान शिक्षकों/प्रोफेसरों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य अकादमिक स्टाफ के वेतनमानों को संशोधित किया है।

**उपाबंध**

**अ.श. पत्र संख्या एफ. 19-1/2013 (सीयू)** **27 फरवरी, 2018**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, देश में उच्चतर शिक्षा के मानकों का रखरखाव करने हेतु अधिदेशित है। आयोग यह जानकर अत्यंत दुखी है किं लबे समय से बड़ी संख्या में शिक्षण पद रिक्त पड़े हुए हैं जो अंततः उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के साथ हमारी बातचीत के दौरान शिक्षण पदों को भरे नहीं जाने के लिए अनेकानेक कारणों को इंगित किया गया।

2. संसदीय स्थायी समिति ने संकाय सदस्यों के रिक्त पदों के संबंध में अत्यंत कड़ा रुख अपनाया है और यह इच्छा व्यक्त की है किं सस्वीकृत रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को गति दी जाए।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लगातार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से रिक्त शिक्षण पदों को शीघ्रताशीघ्र भरने तथा रिक्तियों के नहीं भरे जाने के कारणों की पहचान करने को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान करने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार रिक्तियों को शीघ्र

भरने हेतु भरसक प्रयत्न करने का अनुरोध करता आया है ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय के शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मानव संसाधन विकास मंत्रालय लगातार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से रिक्त शिक्षण पदों को भरने के लिए कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध करता आया है।

4 इसलिए, मैं आपसे समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध करता हूं जिसमें पदों के लिए विज्ञापन निकालने, आवेदनों की संवीक्षा करने, साक्षात्कार हेतु बुलाने, अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति के लिए समय-सीमा दर्शाई गई हो। उन विश्वविद्यालयों में जहां नियमित रूप से कुलपति नियुक्त नहीं हैं, वहां तुरंत आवेदन आमंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय विज्ञापन जारी कर सकता है। जहां कहीं भी, विश्वविद्यालय योग्य अभ्यर्थियों को खोज पाने में असफल रहता है, उस स्थिति में मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले ही सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को प्रवाही विज्ञापन (रोलिंग एडवरटाइज़मेंट) जारी करने का अनुरोध किया है जो वर्षभर वेबसाइट पर चलता रहे।

5. इस मुद्दे के महत्व तथा प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, मैं आपसे इस संबंध में एक कार्य योजना तैयार करने तथा इसे तत्काल मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजने का अनुरोध करता हूं।

सादर

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी)

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति महोदय

प्रतिलिपि

डॉ. सुखबीर सिंह संधु, भ.प्र.से, अपर सचिव (सीयू एंड एल), भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली'110001

**Shortage of teachers**

†*95.SHRI SURENDRA SINGH NAGAR: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a huge shortage of teachers in colleges of rural areas in comparison to the colleges of cities; and

(b) if so, the reasons therefor and by when the Government would bridge this gap?

† Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

(a) and (b) No Sir. The University Grants Commission (UGC) has informed that as per information available on All India Survey on Higher Education (AISHE), 2016-17, the details of Vacant posts of Teachers in Rural and Urban areas are as follows:-

| Area | Sanctioned Strength | In Position | Vacant Position | Vacant % |
|---|---|---|---|---|
| Rural | 6,80,924 | 5,43,626 | 1,37,298 | 20.1 |
| Urban | 5,71,356 | 4,02,637 | 1,68,719 | 29.5 |
| TOTAL | 12,52,280 | 9,46,263 | 3,06,017 | |

The colleges included under 2(f) and 12(B) of UGC Act, 1956 comes under the administrative purview of respective State Governments. The Central Government/UGC does not involve in selection or recruitment of teachers and non-teaching staff of colleges/ State Universities.

UGC also continuously monitors vacancy issues with Central Universities. UGC requested all Vice Chancellors of Central Universities on 27th February, 2018 (Annexure-4) to prepare a time bound action plan indicating the timeline for advertisement of posts, scrutiny of applications, selection/appointments of candidates etc. Where the regular Vice-Chancellors are not in position, the Universities have been asked to issue advertisement for calling the applications immediately.

Also, the Central Government has revised pay scales of teachers and other academic staff in universities and colleges in order to attract and retain talented teachers/ professors.

***Annexure***

**Dr. Jitendra K. Tripathi**
Joint Secretary

सत्यमेव जयते

**University Grants Commission**
(Ministry of Human resource Development, Govt. of India)
Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi-110002
Phone- 011-23239200
Fax: 011-23238897
E-mail: jitendratripathi.ugc@nic.in

BY SPEED POST

D.O.No.F.19-1/2013 (CU) 27 February, 2018

Dear Sir

The University Grants Commission has the mandate of maintaining standards of higher education in the country. The Commission is pained to note that a large number of teaching posts are lying vacant for long period of time which is ultimately affecting the quality of higher education. During our interactions with university authorities various reasons for non-filling up of teaching posts have been highlighted.

2. The Parliamentary Standing Committee has taken a serious view with regard to vacant posts of faculty members and desired that the process of the filling up of the vacant sanctioned teaching posts be expedited.

3. UGC has been repeatedly requesting the central universities to fill up the vacant teaching posts at the earliest and give topmost priority for identifying the causes for the vacancies and make concerted efforts to fill up the vacancies as per UGC norms, at an early date to ensure that the teaching work of the university is not adversely affected. The MHRD also repeatedly requested for preparation of action plan for filling up of vacant posts of teaching positions in Central Universities.

4. I would, therefore, request you to prepare a time bound action plan indicating the timeline for advertisement of posts, scrutiny of applications, calling of interviews, selection/appointments of candidates etc. Where the regular Vice-Chancellors are not in position, the Universities may issue advertisement for calling the applications immediately. Wherever, the Universities are facing the difficulty in getting eligible candidates, Ministry/ UGC has already requested all the Central Universities to make rolling advertisements may run on the website throughout the year.

5. In view of the importance and implications of this issue I would, like to request you to formulate the action plan in this regard and send the same to the Ministry of HRD and UGC at the earliest.

With regards,

Yours sincerely,

(Jitendra K. Tripathi)

**Vice Chancellors of all Central Universities**

Copy to: Dr. Sukhbir Singh Sandhu, IAS, additional Secretary (CU & L), Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi-11000

**श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः** माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि दुनिया की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। इसका कारण क्या है, प्रश्न के जवाब से वह स्पष्ट है। जब इतने शिक्षकों की पोस्ट्स खाली हैं, शिक्षक ही हमारे पास नहीं हैं, almost one-fourth - आज लगभग 3 लाख शिक्षकों की पोस्ट्स खाली हैं। जिस देश में शिक्षकों की ...(**व्यवधान**)... I am coming to the question Sir, आपने मुझे Zero Hour में भी मौका नहीं दिया, इसमें तो दे दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापतिः** ठीक है।

**श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः** जब देश में 3 लाख शिक्षकों की कमी है और वन-फोर्थ ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापतिः** क्या उसकी पूर्ति कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

**श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः** मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा प्रश्न है कि शिक्षकों की ये पोस्ट कब तक भर ली जाएंगी? क्या इसकी कोई समय-सीमा है? आजकल प्राइवेट सैक्टर में भी यूनिवर्सिटीज़ जा रही है। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में जो आरक्षण की व्यवस्था है, खासकर जो backward and scheduled castes के लोग हैं, आज उन्हें इस लाभ से वंचित किया जा रहा है। जब मंत्री जी तीन लाख की बात करते हैं, तो उसमें से डेढ़ लाख इन लोगों की भर्ती होनी चाहिए। क्या माननीय मंत्री जी इन भर्तियों की कोई समय-सीमा बताएंगे? इसके साथ, जो backward and scheduled castes के लोग हैं, उनकी भर्ती के लिए भी क्या विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिससे उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल सके। ...(**व्यवधान**)...

**श्री प्रकाश जावडेकरः** महोदय, 2016-17 की जो फाइनल जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार, 19,732 कॉलेज रूरल एरियाज़ में हैं और 15,108 अर्बन एरियाज़ में हैं। रूरल एरियाज़ के कॉलेजेज़ में 20 परसेंट और अर्बन एरियाज़ के कॉलेजेज़ में 29 परसेंट वेकेंसीज़ हैं। आमतौर पर 10 परसेंट वेकेंसीज़ समझ सकते हैं, क्योंकि इसके तहत ad hoc और बाकी भर करके व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन इतना कतई स्वीकार नहीं है और इसलिए हमने सभी यूनिवर्सिटीज़ को यह कहा है

कि आपका सबसे top priority job है, आने वाले तीन साल में सारी वेकेंसीज़ को भरना - यह हमने उनको कहा है। अभी सामाजिक न्याय को लेकर एक व्यवधान आया, हमने भी उसमें एक काम किया। 6 महीने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, जिससे एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर उल्टा प्रभाव पड़ रहा था, यानी उनका आरक्षण कम हो रहा था, इसलिए सरकार ने आगे बढ़ कर इसमें अपनी भूमिका निभाई और कहा कि किसी भी हालत में एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर आंच नहीं आने देंगे और लाने भी नहीं देंगे। हमने दो एसएलपीज़ दायर की है और उसके लिए सबको instruction भी दिया है कि 13 अगस्त को एसएलपी का निर्णय होगा, तब तक आप रुकिए। लेकिन हमारा प्रयास यह है कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्पीड में भर्ती करनी चाहिए और इसके लिए हमने तीन साल का समय दिया है।

**श्री सभापतिः** सेकंड सप्लीमेंटरी।

**श्रीमती छाया वर्माः** सर, पिछले साल भी तीन साल का ही समय था, इसलिए अब तो दो साल का समय होना चाहिए।

**श्री सभापतिः** प्लीज़, प्लीज़।

**श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः** सर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें कितने टीचर्स की कमी है? खासतौर से डीयू में कितने पद स्वीकृत हैं और वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स तथा एसोसिएट प्रोफेसर्स की कितनी कमी है? उसको कब तक भरा जाएगा? देश में जो आईआईटीज़ और आईआईएम्स हैं, उनमें कितने टीचर्स की कमी है और इनको कब तक भरा जाएगा? इसकी कोई समय सीमा बताने का कष्ट करेंगे?

**श्री प्रकाश जावडेकरः** सर, आईआईटीज़ और उत्तर प्रदेश में कितनी वेकेंसीज़ हैं, मैं इसका जवाब माननीय सदस्य को अलग से भेजूंगा, उसके डिटेल्स उपलब्ध हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि डीयू में जो बहुत मात्रा में पद खाली थे और ad hoc posting दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल चल रही थीं, इसलिए हमने तुरंत डीयू से विशेष मीटिंग करके उनको प्लान बना कर इसको करने के लिए कहा। अनेक कॉलेजों ने यह प्रक्रिया शुरू की, कोर्ट में भी एक केस गया है और कोर्ट भी इसको मॉनिटर कर रहा है। अभी इलाहाबाद कोर्ट के कारण थोड़ी सी रुकावट आई है, लेकिन इसके बाद ये पद तुरंत भरे जाएंगे और सबको न्याय मिलेगा।

डीयू के संबंध में दूसरी बात यह है कि वहां पर हजारों पद थे और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि आज मैं जहां भी जाता हूं, वहां पर पूछता हूं कि कितने लोगों को प्राध्यापक बनना है, तो एक-आध हाथ ही ऊपर उठता है। यह एक बड़ी समस्या है, इसलिए टीचरशिप का attitude कैसे आए, टीचरशिप का सम्मान कैसे बढ़े और टीचर्स को अच्छी सहूलियत कैसे मिले, इन तीनों लेवल्स पर हम प्रयास कर रहे हैं।

**प्रो. मनोज कुमार झाः** महोदय, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आता हूं और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान वहां की अद्यतन स्थिति की ओर उत्कृष्ट करना चाहता हूं। पीएच.डी. और एम.फिल. के एडमिशन के लिए 50 परसेंट बार है, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोई छूट का प्रावधान नहीं है। विभाग-दर विभाग कोई भी एडमिशन नहीं हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके साथ ही जुड़ा हुआ मामला है ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापतिः** एक ही प्रश्न पूछिए।

**प्रो. मनोज कुमार झाः** सर, साथ जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापतिः** मिनिस्टर, मिनिस्टर। ...(**व्यवधान**)...

**प्रो. मनोज कुमार झाः** सर, मैं सिर्फ यह कहता हूं कि शिक्षा का निजीकरण ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापतिः** प्लीज़, प्लीज़। प्रोफेसर्स से यही प्रॉब्लम है कि प्रोफेसर्स कम समय में ज्यादा विषय बताना चाहते हैं।

**श्री प्रकाश जावडेकरः** सर, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, उनके पास इस विषय में जो जानकारी है, अगर वे मुझे दे देंगे, तो मैं जरूर उसकी जांच करके न्याय करूंगा।

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, through you, I would like to know from the hon. Minister for Human Resource Development, if the University Grants Commission is diluted, if its powers are taken out and if the grants are reduced, then, how the college teachers can be paid. All the colleges and universities will find it very, very difficult to pay the teachers, and, so, the shortage will become even more grave.

MR. CHAIRMAN: How will the salaries be paid is the question.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, the Central Government pays hundred per cent salaries to all the teaching staff; teachers, professors, assistant professors and associate professors, in all Centrally-funded universities and institutions. As far as State Governments are concerned we have already implemented the seventh Pay Commission here — we have told all the State Governments that we will give them 50 per cent and you give the Seventh Pay Commission, because it is a contribution by both. The other State employees do not get any amount from the Central Government, but in this special case we are giving them.

SHRI OSCAR FERNANDES: Sir, is it a fact that during the recruitment of teachers in Delhi University, the SC/ST teachers will be deprived of the jobs? The number, which would have been normal in the normal recruitment process, will not be there. And, will the SC/ST teachers be deprived because of the process that we have initiated now?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I am assuring the House that we will ensure that no Scheduled Caste, Scheduled Tribe or OBC teacher, who can get the job, will be denied the opportunity at all. This is the decision of the UGC to have a University as a unit so that all Scheduled Caste, Scheduled Tribe or OBC candidates get the correct opportunity — 50 per cent. But because the court has quashed our provisions and has introduced the department-wise roaster, it has created the imbalance. Therefore, we have filed an SLP and stopped the recruitment till the SLP is decided, and we will do the justice.

MR. CHAIRMAN: Q. No. 96, Shri Narayan Lal Panchariya. ...*(Interruptions)*...

**श्री सतीश चन्द्र मिश्राः** सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I have already gone to the other question. ...*(Interruptions)*... No, no; it will become a practice. ...*(Interruptions)*... I have already gone to the other question. ...*(Interruptions)*... No, no; it will become a practice. ...*(Interruptions)*...

**श्री सतीश चन्द्र मिश्राः** सर, मैं कहना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)... 'जय भीम' बोलने पर किसी स्टूडेंट की पी.एच.डी. की डिग्री रोक दी गई, क्या इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताएंगे? ...(**व्यवधान**)... उन लोगों ने वहां पर 'जय भीम' बोल दिया, तो उनकी पी.एच.डी. की डिग्री रोक दी गई। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: No, no; it will become a practice. ...*(Interruptions)*...

**श्री सतीश चन्द्र मिश्राः** यह कौन-सा देश है, जिसमें 'जय भीम, जय भारत' कहने पर पी.एच.डी. डिग्री रोक दी जाती है? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: No, no; you take note of, Javadekarji....*(Interruptions)*... Q. No. 96, Shri Narayan Lai Panchariya ...*(Interruptions)*...

**श्री प्रकाश जावडेकरः** मैं इस बात की जरूर जांच करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। ...(**व्यवधान**)...

**Assessing learning level of children**

*96. SHRI NARAYAN LAL PANCHARIYA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government has taken any steps to assess the learning levels of children;

(b) if so, the details thereof, State-wise and if not, the reasons therefor; and

(c) the details regarding learning levels of children in Rajasthan and the relative position of the State *vis-a-vis* other States?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) to (c)A Statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

(a) and (b) Yes, Sir. In order to increase focus on quality of elementary education, the Central rules to The Right of Children to Free and Compulsory Education Act (RTE) Act, 2009 have been amended on 20th February, 2017 to include reference on class-wise, subject-wise Learning Outcomes. The Learning Outcomes for each class in Languages (Hindi, English and Urdu), Mathematics, Environmental Studies, Science and Social Science up to the elementary stage (classes 1 to 8) have, accordingly, been finalized and shared with all States and UTs. Learning outcomes have been translated in different